राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

"सॉफ्टवेयर विकास तथा सर्विसेज विक्रेताओं से रुचि की अभिव्यक्ति (ई. ओ. आई.) आमंत्रण सूचना "

अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियों(सीसीटीएनएस) हेतु सॉफ्टवेयर विकास और प्रबंध सेवाएं

गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) ने आईटी- समर्थित अत्याधुनिक प्रणाली के क्रम-विकास हेतु एक राष्ट्रव्यापी, नेटवर्क्ड अवसंरचना के मार्फत अपराध जांच के लोगों में नतीजों की बढ़ोतरी, अपराधियों का पता लगाने तथा पुलिस की प्रभावशीलता और कार्यकुशलता के संवर्धन के रूप में मिशन मोड प्रोजेक्ट के तौर पर सी.सी.टी.एन.एस. की संकल्पना की है । राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) केन्द्रीय नोडल एजेंसी है जो गृहमंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में सी.सी.टी.एन.एस. के कार्यान्वयन को प्रबंधित करेगी ।

सी.सी.टी.एन.एस. के भाग के रूप में, एन.सी.आर.बी. सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सी.सी.टी.एन.एस. कोर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (सी.ए.एस.) के साथ प्रदान करेगा जो राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों द्वारा, संरुपित, अनुकूलित, संवर्धित और तैनात हो सकेगा । एन.सी.आर.बी. किसी पेशेवर सॉफ्टवेयर विकास एजेंसी (एस.डी.ए.) द्वारा सी.ए. एस. को विकसित व प्रबंधित करने का इच्छुक है । कार्य क्षेत्र में शामिल होगा सी.सी.टी.एन.एस. सी.ए.एस. एप्लिकेशन्स का रूपांकन, विकास, परीक्षण व कार्यान्वयन, राज्यों /संघशासित क्षेत्रों में कोर एप्लिकेशन को अनुकूलित व तैयार करने में राज्यों / संघशासित क्षेत्रों का समर्थन करना, जरूरत के मुताबिक एप्लिकेशन का संवर्धन करना, कार्य अवधि के दौरान एप्लिकेशन का रख- रखाव तथा कार्य की अवधि के बाद एप्लिकेशन को प्रबंधित करने के लिए एन.सी. आर. बी. की आन्तरिक क्षमताओं के विकास में मदद करना ।

एस.डी.ए. एक प्रतियोगी बोली प्रक्रिया द्वारा पहचान करेगा, जिसका पहला कदम इच्छुक प्रख्यात सॉफ्टवेयर विकास एजेंसियों से रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करना है । गृह मंत्रालय की ओर से, एन.सी.आर.बी. पात्र पेशेवर सॉफ्वेयर सर्विसेज फर्मों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है ।

पात्र फर्मों को ई.ओ.आई. आलेख्य के प्रत्युत्तर द्वारा अपनी रुचि निर्दिष्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसे **http://ncrb.nic.in/CCTNS.htm** से डाउनलोड किया जा सकता है । उस आलेख्य में विवरण, सम्बद्ध परियोजना विवरण, पूर्वयोग्यता मानदंड, ई. ओ. आई. प्रत्युत्तर दिशा- निर्देश और ई.ओ.आई. के प्रत्युत्तर से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी प्रदान की गयी है ।

पात्र विक्रेताओं को 12 अगस्त 2009 को अंतिम समय (1500 बजे) से पहले अपने प्रत्युत्तर भेजने के लिए आमंत्रित किया जाता है । प्रत्युत्तरदाताओं से आग्रह किया जाता है कि अपने प्रत्युत्तर निम्नलिखित अनुसार भेजें (i) CCTNS_EOI@ncrb.nic.in को सॉफ्ट प्रति के रूप में और (ii) नीचे दिए गए एन.सी.आर.बी. के डाक पते पर हार्डप्रतियों के 2 सेट । कोटेशन्स इसी पते पर निर्देशित हो सकती है ।

महानिरीक्षक -सी.सी.टी.एन.एस.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, पूर्वी खंड-7, रा.कृ.पुरम, नई दिल्ली- 110 066.

फोन : 91 11 26172324/26105353, फैक्सः 91 11 26197984